



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012026-269218
CG-DL-E-09012026-269218

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947

No. 82]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 92(अ).— केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम 4 के अनुसरण में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत “इण्डियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता” को, ऐसे कार्यालय के रूप में, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई.15015/1/2025- रा.भा.]

ए. धनलक्ष्मी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 92(E).— In pursuance of Sub-Rule 4 of Rule 10 of the Official Language Rules 1976 (For Official Purposes of the Union), the Central Government notifies “INDIAN ASSOCIATION FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE, Kolkata” under the Department of Science and Technology, as an office where more than 80 percent of officers/officials have attained working knowledge of Hindi.

[F. No. E.15015/1/2025-Rajbhasha]

A. DHANALAKSHMI, Jt. Secy.

112 GI2026